पत्र के जवाब-उल-जवाब मय प्रार्थना पत्र 08 R 9 जा.दी. प्रस्तुत करने हेतु आगामी दि. 9/6/17 को श.मा.वि. श्यामपुरा पर पेश होवें। नोटिस अलग से जारी किया जावे।

9/6/17 पत्रावली लोक अदालत/कोर्ट कैम्प श.मा.वि. श्यामपुरा पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/वादी स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी अनुपस्थित। विपक्षी/प्रतिवादी सं. 3 तथा 8 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी/प्रतिवादीगण अनुपस्थित। उपस्थित उभय पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निपटाने हेतु समझाईश की गई लेकिन उपस्थित उभय पक्षकारों के मध्य कोई समझौता/राजीनामा नहीं हो पाने से मामले को निपटाया नहीं जा सका।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 27.2.17 से प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब-उल-जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 08 R 9 जा.दी. मय जवाब-उल-जवाब प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी सं. 1 से 7 के स्तर पर लम्बित चल रही है इस हेतु विपक्षीगण को दिनांक 27/2/17 से निरन्तर मौके दिये जा रहे हैं, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 17.4.17 को 200 रु. की कोस्ट पर दिया गया अंतिम मौका भी शामिल है लेकिन बावजूद इसके

श्री रुवजी विपक्षी श्री हांजा वगै.

प्रा. पत्र पत्रावली संख्या 10 सन् 2016

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
विपक्षीगण आज दिनांक तक उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 08 R9 जा.दी. मय जवाब -उज- जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहे है अतः विपक्षी सं. 1 से 7 तक का प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब उज जवाब तथा इस हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 08 R9 जा.दी. प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है। उपस्थित उभय पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा गुड़ा की जमाबंदी संवत 2070-73 के खाता सं. 54 में दर्ज कुल किता 9 कुल रकबा 0.65 हैक्टे. कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा अंकित है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारों को मौजा गुड़ा की वादग्रस्त कृषि भूमि C.A. ~~कृषि~~ ओ.नं. 21 रकबा 0.04 हैक्टे, ओ.नं. 22 रकबा 0.04 हैक्टे, ओ.नं. 23 रकबा 0.04 हैक्टे, ओ.नं. 24 रकबा 0.09 हैक्टे, ओ.नं. 25 रकबा 0.04 हैक्टे, ओ.नं. 26 रकबा 0.09 हैक्टे,	

आ.नं. 27 रकबा 0.16 हैक्टे., आ.नं. 30 रकबा
0.06 हैक्टे. तथा आ.नं. 31 रकबा 0.09 हैक्टे.
कुल किता 9 रकबा 0.65 हैक्टे. कृषि भूमि
में प्रार्थी के 1/4 हिस्सा भूमि की मौके की (का)
यथास्थिति बनाये रखने के लिये ~~[illegible]~~ C.A.h अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद
पूर्ण प्रविष्टि नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

निर्णय मजमे आम लोक अदालत।
कोर्ट कैम्प रा.मा.वि. श्यामपुरा में सुनाया गया।

9/6/17
सहायक कलेक्टर एवं
उपखंड अधिकारी
ऋषभदेव